

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 2205 / 2015 / अलवर

अपील संख्या-2207 / 2015 / अलवर

अपील संख्या-2209 / 2015 / अलवर

अपील संख्या-2211 / 2015 / अलवर

अपील संख्या-2213 / 2015 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी।

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विद्या मेटल मेन्युफेक्चरिंग कंपनी प्रा० लि०
भिवाड़ी।

....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा उपरोक्त पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 77, 79, 81, 83 व 85/आरवैट/2014-15/अपी.प्राधि./अलवर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 09.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61, के अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.06.2014 के द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गयी है।

2. इन पांचों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवसायी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी द्वारा मय टीम दिनांक 21.03.2014 को प्रत्यर्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण फर्म के लेखाकार श्री सुरेश कुमार की उपस्थिति में किया गया। व्यवसायी फर्म द्वारा कॉपर कैथोड को रॉ-मेटेरियल के रूप में प्रयोग करके कॉपर वायर तथा कॉपर स्ट्रिप का विनिर्माण एवं जॉब वर्क किया जाता है। सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण व्यवसायी फर्म के लेखाकार श्री सुरेश कुमार एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में

21

लगातार.....2

व्यवसाय-स्थल पर उपलब्ध माल की भौतिक गणना फर्द तैयार की गई जिसका व्यवसायी की नियमित लेखा-पुस्तकों से सत्यापन किये जाने पर अघोषित पाये गये माल की पृथक गणना फर्द तैयार की गई। जांच के दौरान व्यवसायी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये वैट-47 एवं वैट-49 प्रपत्रों को वास्ते जांच पत्रावली पर रखा गया तथा सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म को नियमित लेखा-पुस्तकों एवं खरीद-बिक्री के पर्चे प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम की धारा 75(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवसायी फर्म के लेखाकार ने उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज/सूचनाएं पेश करने हेतु समय चाहे जाने पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.03.2014 व 15.04.2014 का समय प्रदान किया गया, किन्तु व्यवसायी द्वारा वांछित दस्तावेज/सूचनाएं पेश नहीं किये जाने के कारण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पुनः अधिनियम की धारा 75(1) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 24.03.2014 के लिए जारी किया गया जिसकी पालना में नियत तिथि को व्यवसायी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पी. के. गुप्ता ने उपस्थित होकर सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेज/सूचनाएं पेश की। उक्त सूचनाओं/दस्तावेजों की जांच करने पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पाया गया कि व्यवसायी फर्म द्वारा अपने इन्वॉयसेज में क्रेता व्यवसायियों से Freight एवं Insurance की राशि वसूल की जाकर इस पर देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वक्त सर्वेक्षण भौतिक सत्यापन के दौरान लिये गये स्टॉक का सत्यापन/मिलान व्यवसायी फर्म की नियमित लेखा-पुस्तकों से किये जाने पर कर योग्य माल फिनिशड गुड्स कॉपर स्ट्रिप अधिशेष एवं अघोषित पाया गया। तत्पश्चात व्यवसायी फर्म द्वारा Freight व Insurance की राशि पर देय कर का अपवंचन/परिवर्जन किये जाने एवं वक्त सर्वेक्षण करयोग्य फिनिशड गुड्स कॉपर स्ट्रिप अधिशेष एवं अघोषित पाये जाने के कारण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म के विरुद्ध अभियोग प्रस्तावित करते हुए उपायुक्त (प्रशासन) अलवर के आदेशानुसार पत्रावलियां सशक्त अधिकारी को स्थानांतरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने पर व्यवसायी फर्म द्वारा आलौच्य अवधियों में जारी वैट इन्वायसेस में क्रेता व्यवसायी से Freight एवं Insurance की राशि पर वसूल की जाकर इस पर देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 2(36) में ली गई बिक्री की परिभाषा के अनुरार विक्रय गूल्य का शार होने के कारण इरा पर कर देयता होने के बावजूद फर्म द्वारा आलौच्य अवधियों में Freight एवं Insurance की राशि पर देय कर जमा नहीं कराने के कारण आलौच्य अवधियों के लिए नोटिस जारी किये गये एवं अवधि 2013-14 हेतु कॉपर स्ट्रिप का अधिशेष एवं अघोषित स्टॉक पाये जाने के कारण भी नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवसायी फर्म के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म के विरुद्ध

25

लगातार.....3

नीचे लिखी सारणी अनुसार कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है :-

क्र.सं.	अपील संख्या	क. नि. वर्ष	कर रू	ब्याज रू	शास्ति रू	कुलयोग रू
1.	2205/2015	2009-10	9560/-	5258/-	19120/-	33937/-
2.	2207/2015	2010-11	4214/-	1812/-	8428/-	14454/-
3.	2209/2015	2011-12	1428/-	443/-	2856/-	4727/-
4.	2211/2015	2012-13	1877/-	357/-	3755/-	5989/-
5.	2213/2015	2013-14	4797/-	336/-	9594/-	14727/-

नोट :- अवधि 2013-14 हेतु अघोषित साल पर 4,11,284/- रू वेट अधिनियम में कर आरोपित किया गया जो बाद व्यवसायी द्वारा अपील में विवादित नहीं किया गया है।

सशक्त अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.06.2014 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म द्वारा प्रथम अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 09.06.2015 द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा ये पाचों अपीलें पेश की गई है।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरुद्ध बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी फर्म के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि Freight एवं Insurance की राशि पर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति पूर्णतः अनुचित व अविधिक है। प्रत्यर्थी फर्म द्वारा माल का विक्रय एक्स-फैक्ट्री डिलीवरी एवं एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन के आधार पर किया जाता है लेकिन उसके द्वारा आलौच्य अवधियों के अधिकांश संव्यवहारों में क्रेता व्यवसायियों को माल की एक्स-फैक्ट्री डिलीवरी दी गई है, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्रेता व्यवसायियों की ओर से माल भाड़ा व परिवहन व्यय चुकाये जाने के कारण ही उसके द्वारा संबंधित क्रेता व्यवसायियों से आलौच्य अवधियों के वेट इन्वॉयसेज में उक्त Freight एवं Insurance की राशि अलग से वसूल की गई है, जो Post Delivery Expenses होने के कारण अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation III के प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने से इस पर प्रत्यर्थी व्यवसायी का कोई कर दायित्व नहीं बनता है। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में देय कर का करापवंचन नहीं किया गया है। अग्रिम तर्क दिया कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त भाड़े की राशि एवं बीमा व्यय को बिक्री राशि का भाग नहीं माना गया है तथा प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा उक्त समस्त तथ्यों से सशक्त अधिकारी को अवगत करा दिये जाने के बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों की उक्त Freight एवं Insurance की राशि पर

विवादित आदेशों में कर, ब्याज व धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जाकर प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरुद्ध मांग कायम की गई है जो न्यायोचित नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में जिन क्रेता व्यवसायियों को माल की एक्स-फैक्ट्री डिलीवरी दी गई है, केवल उन्हीं क्रेताओं से Freight एवं Insurance की राशि वैट इन्चॉयस में अलग से चार्ज की गई है। अतः इस संबंध में विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये तथा अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation III के अनुसार उक्त राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक बताया। अपने तर्क के समर्थन में इन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एरा.बी.रोल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नं. 317/2008 मै0 आर.एस. इण्ड.(रोलिंग मिल्स) लि0 जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त-पंचम जयपुर व अन्य समान रिवीजन में निर्णय दिनांक 23.11.2016 प्रस्तुत करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी, पत्रावली उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा इन पांचों प्रकरणों में मुख्य रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा Freight एवं Insurance की राशि पर आरोपित किये गये कर, ब्याज व शास्ति को ही विवादित किया गया है। सशक्त अधिकारी की पत्रावली अवधि 2009-10 में पृष्ठ सं. 44 से 48 पर टैक्स इनवाइस की प्रतियाँ अवलोकनीय है जिनमें Freight charges व Insurance charges को अलग से प्रदर्शित किया गया है। अतः उक्त सन्दर्भ में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में जारी वैट इन्चॉयस में क्रेताओं से अलग से चार्ज की गई Freight एवं Insurance की राशि विक्रय मूल्य का भाग मानी जावेगी अथवा नहीं ? इस संबंध में सर्वप्रथम यहां पर अधिनियम की धारा 2(36) जिसमें विक्रय मूल्य को परिभाषित किया गया है, के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है :-

2(36):- "Sale Price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kinds of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I :- In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II :- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III :- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expences in respect of the transportation of the goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

धारा 2(36) के उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऐसी राशि/कीमत जो माल के विक्रय के बदले व्यवसायी को दी जावे अथवा दिये जाने योग्य हो और इसमें से व्यापार में सामान्य तरीके से प्रचलित छूट या घटाव कम कर दिया गया हो परन्तु उस माल की सुपुर्दगी से पूर्व माल के संबंध में किये गये किसी सेवा या कार्य के बदले ली जाने वाली राशि शामिल होगी, विक्रय मूल्य कहलाएगी लेकिन उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाला कर इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त Freight, Insurance and other expences के बारे में उक्त धारा के Explanation III में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जहां अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार माल के लिए भाड़ा व परिवहन व्यय की राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नं. 317/2008 मै0 आर.एस. इण्ड.(रोलिंग मिल्स) लि0 जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त-पंचम जयपुर व अन्य समान रिवीजन में निर्णय दिनांक 23.11.2016 में यह अवधारित किया है कि यदि फ्रेट चार्जेज अलग से वसूल किया जाता है तो वह राशि कर योग्य टर्न ओवर में शामिल नहीं होगी।

7. उक्त प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए इन पांचों प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार व्यवसायी की तरफ से माल भाड़ा व परिवहन व्यय चुकाये जाने के कारण ही उसके द्वारा आलौच्य अवधियों में जारी वैट इन्वॉयस में संबंधित क्रेताओं से उक्त Freight एवं Insurance की राशि अलग से वसूल की गई है, जो Post Delivery Expenses होने के कारण अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation III के प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने से उक्त Freight एवं Insurance की राशि पर कोई कर देयता नहीं बनती है। सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित आदेशों में Freight एवं Insurance की राशि पर आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है।

जहां तक सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित आदेशों में आरोपित किये गये ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अधीन शास्ति का प्रश्न है तो उक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों के इन्वॉयस में क्रेता व्यवसायियों से वसूल की गई उक्त Freight एवं Insurance की राशि पर कोई कर देयता ही नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में उक्त Freight एवं Insurance की राशि पर देय कर का करापवचन किया जाना सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित आदेशों में आरोपित किया गया ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित की गई शास्ति भी उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्तानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. फलतः अपीलार्थी-विभाग द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त पांचों अपीलों अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 09.06.2015 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम
(नत्थूराम)
सदस्य